

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/म.स्वा.का./नाम विलोपित/ x-05-05899/2024/135

दिनांक:- 20/3/2024

आदेश

जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामुहिक चिकित्सालय संघ अजमेर के पत्रांक 5603 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके अधीन पदस्थापित श्री टीकम चन्द नर्सिंग अधिकारी का राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 19.12.2023 को निधन हो गया है। फलस्वरूप स्वर्गीय टीकम चन्द का नाम एतद् द्वारा राज्य सेवा से विलोपित किया जाता है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/म.स्वा.का./नाम विलोपित/ x-05-05899/2024/135

दिनांक:- 20/3/2024

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-अजमेर।
3. नर्सिंग अधीक्षक, जे.ला.ने. चिकित्सालय अजमेर को उनके पत्रांक 622 दिनांक 01.03.2024 के क्रम में।
4. सम्बन्धित कार्मिक के आश्रित को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. संस्थापन अधिकारी, गोपनीय/राज हैलथ/डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
6220345

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :20-03-2024 05:55:17